न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 136/2015

1. डालू पुत्र कंवरलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल
2. कस्तूरचंद } पुत्रान हजारीलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल
3. जोधराज }
4. हरिओम पुत्र मथुरालाल }
5. चतुर्भुज पुत्र कंवरलाल } जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां
6. बाबूलाल }

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—वादीगण

बनाम

1. जवाहरलाल }
2. ललित कुमार } पुत्रान भंवरलाल जाति मेहर निवासी बोहत तहसील मांगरोल
3. जगदीश } जिला बारां
4. गोपाल }
5. कमल }
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा
दायरा दिनांकः 17.07.2015 निर्णय दिनांक : 04.07.2018

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा दिनांक 25.06.2018 को सुनाये गये निर्णय में प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा दिनांक 04.07.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संदर्भ में दोबारा निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक को प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है कि प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी जमाबंदी सम्वत 2069—72 के खाता संख्या 259 के हाल खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0, खसरा नं0 2190 रकबा 0.73 है0 कुल किता 2 रकबा 2.21 है0 वाके ग्राम बोहत में स्थित है प्रतिवादी गण उक्त खाता सख्या 259 खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0 जो वादीगण के बतौर खातेदारी में दर्ज है को जबरन काश्त करने में आमादा है। अतः प्रतिवादी कम 1 ता 5 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0 ग्राम बोंहत में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें। शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 17.07.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री

शर्मा ने 21.12.2015 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 ता 5 की ओर से दिनांक 25.

को जवाब दावा निम्नानुसार प्रस्तुत किया:–

01. वाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है।
02. वाद पत्र की मद नं0 2 से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही हे।
03. वाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है।
04. वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है।
05. वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
06. वाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है।
07. वाद पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार है।
08. वाद पत्र की मद नं0 8 व 9 कानूनी है।

एवं काउण्टर क्लेम में प्रतिवादीगण ने विशेष कथन किया कि प्रतिवादी कम 1 ता 5 को वादीगण की आराजी खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0 से दूर–दूर तक कोई लेना देना नही है प्रतिवादीगण की खाता भूमि पर वादीगण ने बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जिसको बेदखल कर प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वादी के अधिवक्ता श्री अजित कुमार जैन व प्रतिवादी कम 1 व 5 के अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा ने राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प बोहत दिनांक 25.06.2018 को बहस की, वादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया जिसे उन्होने अपने वाद में अंकन किया है। प्रतिवादी कम 1 व 5 के अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा ने कथन किया कि वादीगण की आराजी खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0 से दूर–दूर तक कोई लेना देना नही है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। चूकि वादीगण की विवादित आराजी खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0 से प्रतिवादी कम 1 ता 5 का कोई लेना देना नही है एवं उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त से प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण कम 1 ता 5 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की ग्राम बोंहत में स्थित आराजी खसरा नं0 417 रकबा 1.48 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे। तथा पटवारी हल्का बोहत वादी व प्रतिवादीगण की खाता भूमि को मौके पर पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को सरेईजलास महमेआम में सुनाया ग